श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन

(न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर फोन – 0731- 2432822
फैक्स 0731-2536600 ईमेल lcmpwages@mp.gov.in)

क्रमांक 1/आठ/वेतन/भाग-3/2024/ 6891 इन्दौर, दिनांक 28/02/2025

परिपत्र

विषय –याचिका क्रमांक WP.क्र. 10772/2024 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर के आदेश दिनांक 10 फरवरी,2025 के पालन में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों को लागू किये जाने के संबंध में।

--0--

01/ मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च,2024 (म.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च,2024) द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत अधिसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों को देय न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01 अप्रैल,2024 से पुनरीक्षित की गई थी। शासन की उक्त अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 के विरूद्ध दि मध्यप्रदेश टेक्सटाईल मिल्स एसोसिएशन एवं अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में याचिका क्रमांक WP. 10772/2024, क्र. 9401/2024, क्र.11921/2024 एवं क्र.12606/2024 दायर की गई थी।

02/ माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा उक्त याचिकाओं को आदेश दिनांक 10.02.2025 द्वारा निराकृत करते हुए श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च,2024 के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है -

"*15.* Therefore, to secure ends of justice and reflecting upon the stand taken by the State Government, the present petition is being disposed of with direction to the State Government to initiate fresh procedure prescribed under the Act of 1948 for revision of minimum wages for implementation of revised minimum wages from the date of decision taken by Government in consultation of Minimum Wage Advisory Board for Scheduled employment inserted vide notification dated 19.01.2025 viz. Sr. no. 36 (A) Textiles & Made-ups ; Sr. no. 59(A) Apparel Manufacturing (Woven, Knitted and Technical Textiles Fabrics) ;Sr. no. 73 Footwear Manufacturing.

***16.* It would be needless to mention that Petitioner Association shall remain exempted from implications of notification dated 04.03.2024, as interim stay was passed in their favour immediately on 08.05.2024. However, since the issue involves payment of minimum wages to numerous workers and employees, it would be prudent to further direct that the State Government shall make endeavors to conclude aforesaid exercise within a period of 2 months from today and ensure participation of all stakeholders in Advisory Board meetings in the manner and procedure prescribed under the Act of 1948."**

निरंतर-2

03/ माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा उक्त आदेश के आलोक में श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च,2024 (म.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04.03.2024) द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें 'किसी टेक्सटाईल, मेड-अप्स, वूवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपेरल व फुट वियर निर्माण में नियोजन' को छोडकर, शेष समस्त अधिसूचित नियोजनों पर समय-समय पर जारी देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित पुनः प्रभावशील हो जाती हैं।

04/ श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 15 जनवरी, 2025 (म.प्र.राजपत्र भाग-एक दिनांक 17 जनवरी,2025) में न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में जोडे गए निम्न नियोजनों में माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार न्यूनतम वेतन निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से इन नियोजनों के नियोजकों पर उक्त पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें प्रभावशील न होकर पुनरीक्षण के पूर्व में लागू न्यूनतम वेतन की दरें, नियमित रूप से समय-समय पर निर्धारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित लागू होंगी -

1- अनुक्रमांक 36(क) – किसी टेक्सटाईल एवं मेड-अप्स उद्योग में नियोजन

2- अनुक्रमांक 59(क) – किसी वूवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपेरल निर्माण में नियोजन

3- अनुक्रमांक 73 – किसी फुट वियर निर्माण में नियोजन

अतः उक्त कंडिका 03 एवं 04 अनुसार समस्त नियोजकों द्वारा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय न्यूनतम वेतन का भुगतान नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर

क्रमांक 1/आठ/वेतन/भाग-3/2024/6892-7140 इन्दौर दिनांक 28/02/2025

प्रतिलिपि –

1- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग/ लोक निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग/ कृषक कल्याण विभाग/ राजस्व विभाग (राहत शाखा)/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ पुनर्वास विभाग/ वन विभाग/ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/सामाजिक न्याय विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल

3- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.शासन, भोपाल।

4- आयुक्त जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।

5- संचालक, कृषि विभाग, म.प्र. भोपाल।

6- समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।

7- समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

8- समस्त उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षकों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9- समस्त मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

10-संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इन्दौर।

11- सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल।

12-सचिव, म.प्र.शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल।

13-सचिव, म.प्र.स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल, मंदसौर।

14-कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।

15-लेबर ब्यूरो शिमला (हिमाचल प्रदेश) ।

16-प्रभारी अधिकारी, विधि शाखा, मुख्यालय इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17-प्रभारी अधिकारी, आई.टी.शाखा, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्दौर की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18-प्रभारी अधिकारी, अन्वेषण एवं श्रम कल्याण (शाखा-पांच), मुख्यालय इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19-समस्त श्रम संगठन, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।

20- समस्त उद्योग एवं व्यवसाय संगठन, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर